

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठारिीन अधिकारी श्री अजीत रिंढ राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 31/2023

उनवान

1. श्री कालुशम पिता उदा मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---प्रार्थी

रनाग

1. श्री गोना पिता उदा मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री गेरुलाल पिता उदयलाल मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री गवर लाल पिता अमरचंद मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. सोहनो मुन्नी अमरचंद मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्री हीरा पिता अमरचंद मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. कमला पुत्री अमरचंद मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. भीरी पति अमरचंद मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. श्री नारु पिता भवाना मुर्जर नि० कान्याखेडी तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहशीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कान्याखेडी प.ह. खैरावाद भू.अ.नि. खैरावाद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 262 की आ.न. 633/215 रकवा 0.7271 है० कुल कित्ता 01 रकवा 0.7271 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृपि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.02.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृपि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वेरो भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अगिलेख में किन्ही प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किन्ही प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

---आदेश---

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहशीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कान्याखेडी प.ह. खैरावाद भू.अ.नि. खैरावाद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 262 की आ.न. 633/215 रकवा 0.7271 है० कुल कित्ता 01 रकवा 0.7271 है० भूमि स्थित है। जिराकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फंसाल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

(अजीत रिंढ राठौड)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ